संख्या- 6/2025/आई/1027983/2025-10-25002-099-1-2021

प्रेषक,

शिव सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ०प्र०, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2025

विषय:- रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उ०प्र० हेतु एक नया वाहन शासकीय वाहन क्रय करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-291, दिनांक 03.07.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नये वाहन TOYOTA INNOVA CRYSTA G7-SEATER DIESEL)(MUV)(MT) BSVI को जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 के लेखा शीर्ष 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ.प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू० 20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र) में से विभागाध्यक्ष हेतु रु० 18,82,000 (रुपये अठारह लाख मात्र) में नया वाहन TOYOTA INNOVA CRYSTA G7-SEATER DIESEL)(MUV)(MT) BSVI को जेम पोर्टल पर उपलब्ध अपेक्षित मानक के अनुरूप क्रय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि को व्यय करने में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2025 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के सुसंगत प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार क्रय की कार्यवाही की जाएगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रु० 18,82,000 (रुपये अठारह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 के लेखा शीर्ष 5475008000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ.प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन मानक मद 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शिव सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 6/2025/आई/1027983/2025/**10-25002-099-1-2021, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अपर निदेशक, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एस० पी० सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।